

**CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION
COMPANY LIMITED, RAIPUR**
(A Government of Chhattisgarh Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

PUBLIC NOTICE

In compliance to the provisions under Section 62 and 86(1) of the Electricity Act-2003 and the various provisions under the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (CSPTCL) has filed a petition for final True-up of FY2022-23 and determination of Transmission Tariff for FY 2024-25 before the Hon'ble Commission. This petition is registered as petition no. 05/2024.

CSPTCL has requested to approve ARR of Rs.**1063.69 Cr** for true-up of **FY 2022-23** and ARR of Rs. **1181.47 Cr for FY 2024-25**. CSTPCL has proposed Short Term Open Access (STOA) charges for FY 2024-25 as 32.66 Paise/kWh.

Copies of the tariff petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and the office of the Chief Engineer (PC&RA), CSPTCL, Danganiya, Raipur which can be obtained on any working day on payment of Rs.300/- & may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs.50/. Copies of petition are also available at website www.cspsc.co.in and www.cserc.gov.in .

Persons intending to file objections / suggestions relating to the above petition may send objections / suggestions directly to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur (e-mail id cserc.sec.cg@nic.in) and/or Chief Engineer (PC&RA), CSPTCL, Danganiya, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

Chief Engineer (PC&RA)
CSPTCL, Raipur

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 एवं 86(1) में निहित प्रावधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के अनुसार वर्ष 2022-23 के फाइनल ट्रू-अप एवं वर्ष 2024-25 के पारेषण टैरिफ अवधारण हेतु माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। यह याचिका क्रमांक 05/2024 के रूप में पंजीकृत की गई है।

पारेषण कम्पनी द्वारा उक्त याचिका में वर्ष 2022-23 के ट्रू-अप हेतु रु. 1063.69 करोड़ की वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा वर्ष 2024-25 के लिये रु. 1181.47 करोड़, के अनुमोदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। पारेषण कम्पनी द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु 32.66 पैसे/यूनिट STOA Charges प्रस्तावित किया गया है।

कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका की प्रतियाँ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं मुख्य अभियंता (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग. राज्य.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। जिन्हें रुपये 300/- के भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के साथ डाक व्यय हेतु रुपये 50/- के अतिरिक्त भुगतान पर उक्त कार्यालय से डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। यह सूचना एवं याचिका आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं कम्पनी के वेबसाइट www.cspc.co.in पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति अपने आपत्ति/सुझाव सचिव छ.ग.राज्य विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर (ई-मेल आईडी cserc.sec.cg@nic.in) एवं/या मुख्य अभियंता (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग.राज्य.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर को इस आम सूचना के प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर भेज सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित की गई तिथि, समय एवं स्थान पर जन-सुनवाई भी की जावेगी, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

मुख्य अभियंता (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारे.कं.मर्या., रायपुर